भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3395
21 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण

3395. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विनिर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अनुसंधान और विकास में निवेश किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माताओं को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है:
(ङ) क्या सरकार विनिर्माताओं के लाभ में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और
(च) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-वाहन पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2020 से 2023 (15 मार्च,2023 तक) के दौरान भारत में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	कुल संख्या
2020	1,23,092
2021	3,27,976
2022	10,15,196
2023(15.03.2023 तक)	2,56,980

(ख) से (ङ) : भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों और विनिर्माताओं को निम्नांकित तीन स्कीमों के माध्यम से आर्थिक प्रोत्साहन दिया हैः

i. **भारत में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया):** सरकार ने फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। को 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से अधिसूचित किया है। फेम-इंडिया स्कीम, चरण-।। के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

यह आर्थिक प्रोत्साहन बैटरी क्षमता से जुड़ा है जो ई-तिपहियों और ई-चौपहियों के लिए वाहन लागत की 20 प्रतिशत सीमा के साथ 10,000 रूपए प्रति किलोवाट घंटे है। साथ ही,11 जून,2021 से ई-दुपहियों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन/सब्सिडी को वाहन लागत की 20 प्रतिशत सीमा से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करते हुए 10,000 रूपए प्रति किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटे कर दिया गया है।

ii. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने वाहनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली ऑटोमोटिव क्षेत्र संबंधी पीएलआई स्कीम को 15 सितंबर, 2021 को मंजूरी दी। इलेक्ट्रिक वाहन इस पीएलआई स्कीम के दायरे में शामिल हैं।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) संबंधी पीएलआई स्कीम:** सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली पीएलआई स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। इस स्कीम में देश में 30 गीगावाट घंटे के लिए एक प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत 5 गीगावाट घंटे की उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियाँ भी शामिल हैं।

(च): ऐसा कोई प्रस्ताव भारी उद्योग मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

***